कार्यालय आयकर आयुक्त - I, नागपुर

'आयकर भवन' तेलनखेड़ी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001

Office of the Commissioner of Income-Tax - I NAGPUR

'Aayakar Bhavan' **Telankhedi Road, Civil Lines, NAGPUR - 440 001**

फा०सं: सीआईटी-I /180-4/V-70/2007-08 नागपुर, दिनांक 08/08/200

नाम : विकास

पता : 162, पांडे ले आउट, खामला
नागपुर

विषय:- आयकर अधिनियम की धारा 80 - जी के अंतर्गत आदेश

(~~प्रारंभ करना~~ / नवीनीकरण)

****

मेरे समक्ष बताये गये तथ्यों का सत्यापन करने पर / मेरे समक्ष हुई सुनवाई के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि आपकी संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 - जी के अंतर्गत शर्ते पूर्ण करती है । अब इसके बाद आपकी संस्था को जैसा कि नीचे उल्लेखित है, धारा 80 - जी (5) की शर्तों को पूरा करना होगा ।

(1) यदि यहाँ उल्लेखित शर्तों में से किसी एक भी शर्त को प्रयुक्त न करने / अवज्ञा करने / दुरूपयोग करने / काट-छाँट करने अथवा किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर कानून के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से आदाता संस्था को वंचित कर दिया जायेगा ।

(2) यह छूट दिनांक 01-04-2007 से दिनांक 31-03-2012 तक विधिमान्य होगी तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है -

:: शर्तें ::

(1) आपको इस संस्थान के हिसाब की बहियाँ नियमित रूप से रखनी होगी तथा धारा 80 - जी (5)(iv) के साथ पठित धारा 12 ए (बी) का अनुपालन करते हुये उनका लेखा-परीक्षण करवाकर प्रतिवर्ष 30 नवम्बर / 31 दिसम्बर तक उन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

(2) करदाताओं को जारी की जानेवाली प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं तारीख तथा वह प्रमाण-पत्र जिस तारीख तक मान्य है अर्थात निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।

(3) यथोचित कानूनी कार्यविधि के बिना अर्थात वैधानिक सत्तावाले हाईकोर्ट के आदेश के बिना ट्रस्ट / असोसिएशन के विलेख में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं तत्संबंधी सूचना इस कार्यालय को तत्काल देनी होगी ।

(4) धारा 80 - जी के उपबंधों के अंतर्गत यदि आप धारा 12 ए / 12 एए (1) बी के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा धारा 10 (22) (शिक्षा संस्थान), धारा 10 (22 ए) (अस्पताल), 10 (23) (खेलकूद असोसिएशन) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं तो धारा 80 - जी (5)(1)(ए) के अंतर्गत व्यापार कारोबार से संबंधित आपको अलग-अलग लेखा-पुस्तकें रखनी होगी और तत्संबंधी सूचना इस कार्यालय को व्यापार अथवा कारोबार के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह के अंदर देनी होगी ।

(5) धारा 80 - जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त हुए किसी भी दान का उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हो ।

(6) दानदाताओं को प्रमाण-पत्र जारी करते समय उपर्युक्त वचनबद्धता का पूरा-पूरा पालन करना होगा तथा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग / दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।

(7) उक्त संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अपूर्त (नॉन-चेरिटेबल) प्रयोजन पूरा नहीं किया जाएगा , जैसा कि योगीराज ट्रस्ट के मामले में 107 आईटीआर - 777 (एससी) में उल्लेख किया गया है ।

(8) यह सुनिश्चित किया जाए कि धारा 80 - जी 5 (iii) के अंतर्गत जैसा कि प्रतिबंधित है कि आपके व्दारा इस संस्था का या इसके फण्ड का उपयोग किसी भी धार्मिक समुदाय विशेष अथवा जाति विशेष के लाभ हेतु नहीं किया जाएगा ।

(9) आपके ट्रस्ट /सोसायटी / गैर लाभकारी कंपनी के मैनेजिंग ट्रस्टी / मैनेजर के बारे में सूचना तथा जहाँ पर इस संस्था / ट्रस्ट की गतिविधियाँ चलाई जाएगी उसका पता इस कार्यालय को तथा संबंधित निर्धारण अधिकारी को देना होगा ।

(10) यदि इस कार्यालय से प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करना नहीं चाहते हैं तो आस्तियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा / किन प्रयोजनों हेतु आस्तियों का उपयोग किया जाएगा , इस बात की सूचना इस कार्यालय को तत्काल देनी होगी ।

आयकर आयुक्त कार्यालय I- नागपुर

Sd/-
(A. K. GARG)
Commissioner of Income Tax-I,
Nagpur.

प्रतिलिपि :-

1. आवेदनकर्ता निर्धारिती
2. अपर आयकर आयुक्त रेंज - I, नागपुर
3. आयकर उपायुक्त / आयकर सहायक _____ को सूचनार्थ
4. आयकर अधिकारी वार्ड I (4) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

(H. G. SHUKLA)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(तकनीकी)
कृते: आयकर आयुक्त - I
नागपुर